दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO :- CHHHIN/2018/76480 ‖ Email :- nyaysakshi@gmail.com ‖ रायगढ़, बुधवार 9 जनवरी 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-01, अंक-101

महत्वपूर्ण एवं खास

फ्रांस अनधिकृत प्रदर्शनों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने को तैयार : प्रधानमंत्री

पेरिस (आरएनएस)। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने हफ्तों से जारी हिंसक येलो वेस्ट प्रदर्शनों को खत्म करने के सरकारी प्रयासों के बीच सोमवार को अनधिकृत प्रदर्शनों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने की योजना का ऐलान किया। फ्रांस की राजधानी पेरिस समेत कई शहरों में सात हफ्तों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हो रही झड़पों के मद्देनजर फिलिप ने कहा कि सरकार ऐसे कानून का समर्थन करेगी जिसमें प्रदर्शनों की घोषणा करने की जरूरत को नहीं समझने वालों, अनधिकृत प्रदर्शनों में भाग लेने वालों और नकाब पहनकर प्रदर्शनों में पहुंचने वालों के लिए सजा का प्रावधान हो। गौरतलब है कि फ्रांस में ईंधन करों में वृद्धि के विरोध में 17 नवंबर से येलो वेस्ट नाम से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में हिंसक रूप ले लिया था। प्रदर्शनकारी इसे लेकर राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

शांति वार्ता के लिए म्यांमार सरकार हमेशा तैयार

यंगून (आरएनएस)। म्यांमार सरकार ने कहा है कि सशस्त्र समूह के साथ शांति वार्ता के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता यू जॉ हटे ने एक बयान में कहा कि पीस कमीशन ने शांति प्रक्रिया के लिए रास्ते बंद नहीं किये हैं। शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार हटे ने दोहराया कि सरकार 21वी शदी के पंगलांग शांति सम्मेलन में राष्ट्रीयता के अधिकारों, समानता और संघीय अधिकारों पर राजनीतिक बातचीत का स्वागत करती है।

डाकघरों में जमा 9,395 करोड़ लावारिस

नई दिल्ली (आरएनएस)। देशभर में विभिन्न डाकघरों के बचत खातों में 9,395 करोड़ रुपये की रकम दावारहित (लावारिस) पड़ी है। सर्वाधिक 2,429 करोड़ रुपये की रकम किसान विकास पत्र में लावारिस पड़े हैं। इसके बाद मंथली इनकम स्कीम में 2,056 करोड़ रुपये लावारिस पड़े हैं। इसी तरह, एनएससी में भी 1,888 करोड़ रुपये का दावा करने वाला कोई नहीं है।

मोदी सरकार ने किया सीबीआई से गठबंधन

सपा-बसपा ने की सांझा प्रेस कांफ्रेंस

लखनऊ (आरएनएस)। आम चुनाव से पहले गठबंधन का एलान कर चुकीं समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने सोमवार को साझा प्रेस कांफ्रेंस की। सपा महासचिव रामगोपाल यादव और बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि दोनों पार्टियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। हालात जैसे बन रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी सीट छोड़नी पड़ेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू का नाम बदलने की याचिका खारिज की

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) का नाम बदलने जाने को लेकर दायर याचिका सोमवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने याचिका खारिज करते हुए कहा, आप चाहते हैं कि हम यह करें।

फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के ट्रेलर के खिलाफ पूजा महाजन द्वारा दायर की याचिका पर सुनवाई बुधवार को

नई दिल्ली। 11 जनवरी को रिलीज होने जा रही फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के ट्रेलर के खिलाफ पूजा महाजन द्वारा दायर की गई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को होगी सुनवाई।

आलोक वर्मा पुनः बने सीबीआई के चीफ

सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी का फैसला पलटा

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के अधिकारियों के मध्य जारी विवाद के बीच सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के सीवीसी के फैसले को पलट दिया है। फैसले में कहा गया है कि वर्मा को हटाने से पहले चयन समिति से सहमति लेनी चाहिए थी। जिस तरह सीवीसी ने आलोक वर्मा को हटाया, वह असंवैधानिक है।

...पर वर्मा नहीं ले पाएंगे नीतिगत फैसले

इस तरह से वर्मा अब सीबीआई प्रमुख का कार्यभार संभालेंगे। हालांकि वह बड़े पॉलिसी वाले फैसले नहीं ले सकेंगे। चीफ जस्टिस के छुट्टी पर होने के कारण उनके लिखे फैसले को जस्टिस केएन जोसेफ और जस्टिस एसके कौल की बेंच ने पढ़ा।

वर्मा के वकील बोले, यह संस्था की जीत

अलोक वर्मा के वकील संजय हेगड़े ने फैसले के बाद कहा कि यह एक संस्था की जीत है, देश में न्याय की प्रक्रिया अच्छी चल रही है। न्याय प्रक्रिया के खिलाफ कोई जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए मौजूद है।

सीबीआई विवाद में एनजीओ की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार और सीवीसी के आलोक वर्मा को पद से हटाने का फैसला रद्द कर दिया है। कोर्ट ने उनकी शक्तियां छीनने और छुट्टी पर भेजने के फैसले को अवैध ठहराया।

भूषण ने बताया कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार एक उच्चस्तरीय कमिटी, जिसमें नेता विपक्ष भी हों बनाए और 7 दिनों के अंदर कमिटी इस पर विचार करे। जब तक कमिटी मामला सुलझ नहीं लेती, तब तक वर्मा कोई महत्वपूर्ण फैसले नहीं लेंगे। उनकी अभी सारी शक्तियां फिर से बरकरार नहीं हुई हैं।

बता दें कि सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा ने पूर्व जॉइंट डायरेक्टर राकेश अस्थाना के साथ विवाद के चलते शक्तियां छीने जाने और छुट्टी पर भेजने के खिलाफ याचिका दायर की थी। अस्थाना और वर्मा के बीच करप्शन को लेकर छिड़ी जंग के सार्वजनिक होने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया था।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर को मामले की सुनवाई के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में आलोक वर्मा के अलावा एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से अर्जी दाखिल कर मामले की एसआईटी जांच की मांग की थी। साथ ही सरकार द्वारा छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले को चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीवीसी से जवाब दाखिल करने को कहा था। सीवीसी ने दलील दी थी कि स्थिति विशेष परिस्थिति वाली थी, इसी कारण यह फैसला हुआ है।

केंद्रीय श्रमिक संगठनों की दो दिवसीय हड़ताल

कई राज्यों में प्रदर्शन और झड़प

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार की श्रम नीतियों के विरोध में केंद्रीय श्रमिक संघों की दो दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है। श्रमिक संगठनों ने आज से दो दिन की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसके मद्देनजर देश के कई राज्यों में मजदूर संगठनों ने प्रदर्शन किया है और कामकाज प्रभावित हुआ है। श्रमिक संघों ने दावा किया है कि 20 करोड़ कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं। सीटू, एटक, इंटक जैसे 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन इसे अपना समर्थन दे रहे हैं।

इसके चलते देश के कई राज्यों में श्रमिक संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कई जगहों से झड़प की भी खबरें सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। केरल के कोच्चि और त्रिवेंद्रम में भी केंद्रीय श्रमिक संगठनों के सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।

ओडिशा में भी हड़ताल का प्रभाव देखा जा रहा है। राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में हड़ताल समर्थकों के प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। राजधानी दिल्ली में भी हड़ताल समर्थकों ने पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में प्रदर्शन किया। हड़ताल से कर्नाटक में भी सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ है।

भाजपा की रथयात्रा को लेकर सुको ने ममता सरकार को दिया नोटिस

नईदिल्ली (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल में भाजपा रथ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को नोटिस भेजा है. रथ यात्रा को लेकर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी. इस मामले पर अब अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी.

इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कुछ शर्तों के साथ बीजेपी को रथ यात्रा की इजाजत दी थी. बाद में ममता बनर्जी की सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच के सामने चुनौती दी थी. कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी. प्रदेश में भाजपा की रथ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को नोटिस भेजा है. रथ यात्रा को लेकर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी. इस मामले पर अब अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी.

पिछले महीने कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रथ यात्रा की इजाजत पर स्टे लगा दिया था. इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कुछ शर्तों के साथ बीजेपी को रथ यात्रा की इजाजत दी थी. बाद में ममता बनर्जी की सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच के सामने चुनौती दी थी. कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी. बता दें कि बीजेपी को पिछले दिनों रथ यात्रा की इजाजत नहीं दी गई थी.

केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग खारिज

अंशु प्रकाश के साथ मारपीट का मामला

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए सीएम पद से तुरंत हटाने की मांग को खारिज कर दी है. दरअसल अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में चार्जशीट आने के बाद केजरीवाल को तुरंत पद से हटाने की मांग की गई थी.

ज्ञात हो कि पिछले साल दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से सीएम आवास पर मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. इस चार्जशीट में केजरीवाल और सिसोदिया समेत आप के 11 विधायकों को भी आरोपी बनाया गया है. पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल के पूर्व सलाहकार वीके जैन को मुख्य सरकारी गवाह बनाया गया है.

सड़क हादसों में मौत के मामले में यूपी, तमिलनाडु और महाराष्ट्र अव्वल

नयी दिल्ली (आरएनएस)। देश में सड़क हादसों में होने वाली मौतों की संख्या एक साल में कम जरूर हुई है लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मौत वाले राज्य उत्तर प्रदेश में यह संख्या तीन साल में लगातार बढ़ी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में 2015 से 2017 के दौरान सड़क हादसों में मौत के आंकड़ों के आधार पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2017 में पूरे देश में 147913 लोग सड़क हादसों के शिकार हुये। इससे पहले 2016 में यह संख्या 150785 और 2015 में 146133 थी। मंत्रालय द्वारा पेश आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2017 में सर्वाधिक 20124 लोग सड़क दुर्घनाओं में मारे गये। जबकि 2016 में राज्य में 19320 और 2015 में यह संख्या 17666 थी। इसके अलावा सड़क हादसों में मौत के मामले में तमिलनाडु 16157 मौत के साथ दूसरे और महाराष्ट्र 12264 मौत के साथ तीसरे स्थान पर था। उन्होंने बताया कि सरकार ने सड़क हादसों में होने वाली मौत को रोकने के लिये दीर्घकालिक रणनीति बनाकर इसे सख्ती से लागू करने के प्रावधान किये हैं।

वाड्रा के करीबी ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट का किया रुख

नईदिल्ली (आरएनएस)। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा ने अग्रमि जमानत के लिए सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। अरोड़ा की याचिका पर मंगलवार को स्पेशल जज सुनील राणा सुनवाई करेंगे।

उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को अरोड़ा के खिलाफ बेमियादी गैर-जमानती वॉरंट जारी करने की मांग कोर्ट से की है। ईडी की याचिका पर भी मंगलवार को ही सुनवाई होनी है।

एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि कई बार समन भेजने के बाद भी अरोड़ा पेश नहीं हुआ। ईडी ने दावा किया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरोड़ा महत्वपूर्ण आदमी है। इसका आरोप है कि अरोड़ा को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा की विदेशों में अघोषित संपत्तियों की जानकैारी है और उन संपत्तियों के लिए फंड जुटाने में उसकी मुख्य भूमिका रही है। बता दें कि बेमियादी गैर-जमानती वॉरंट में कोई समय सीमा नहीं होती है।

अब एयरपोर्ट की सड़कें बनेंगी प्लास्टिक कचरे से

चेन्नई (आरएनएस)। प्लास्टिक कचरे के सही प्रबंधन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) इन दिनों कई पहल कर रहा है। एयरपोर्ट में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के अलावा यहां से निकलने वाला प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल अब सड़क निर्माण में करने की योजना है। एएआई ने प्लास्टिक कचरे का शानदार जुगाड़ निकालते हुए देश के एयरपोर्ट की सिटी साइड सड़क निर्माण के लिए इनका इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इनमें चेन्नै भी शामिल है जहां पर्याप्त मात्रा में कचरा निकलता है।

मदुरै के एक एक्सपर्ट्स के अनुसार सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल करने की सलाह दी। एक वरिष्ठ एएआई अधिकारी ने कहा कि इस पहल को मदुरै, चेन्नै या तिरुवनंतपुरम में सबसे पहले आजमाया जाएगा जहां पर्याप्त मात्रा में एयरपोर्ट और एयरलाइंस से प्लास्टिक वेस्ट निकलता है। उन्होंने कहा, हमें इसे मदुरै में सबसे पहले शुरू कर सकते हैं क्योंकि एक्सपर्ट भी वहीं से हैं। अगर सफलता मिलती है देश के बाकी एयरपोर्ट में भी इसे शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कैंपस में सिटी साइड सड़कों पर इसका इस्तेमाल पहले होगा। इसके बाद ऑपरेशनल एरिया की पेरीमीटर सड़कों पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर टेक्नीक परफेक्ट होगी तो इसे टैक्सी-वे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

हाईकोर्ट ने दर्द निवारक दवा 'एस प्रोक्सीवोन' पर से पाबंदी हटायी

नयी दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय दवा कंपनी वोकहार्ड की सूजन रोधी दवा 'ऐस प्रोक्सीवोन' पर केंद्र द्वारा लगायी गयी पाबंदी सोमवार को दरकिनार कर दी। इस दवा का उपयोग हड्डी और मांसपेशियों में दर्द से निजात के लिए किया जाता है। न्यायमूर्ति विभू भाखरु ने दवा कंपनी की याचिका पर यह आदेश जारी किया।

सेना के गश्ती दल पर आतंकी हमले के बाद इंटरनेट बंद

श्रीनगर (आरएनएस)। पुलवामा में मंगलवार को सेना के गश्ती दल पर आतंकवादियों के हमला करने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच इंटरनेट सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया है।

बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने गश्त पर निकले सुरक्षा बलों के एक दल पर हमला कर दिया। दोनों ओर से गोलीबारी के बाद आतंकवादी इलाके में छिप गए। सुरक्षा बलों ने हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इससे पहले जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में ही शनिवार को आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ हो गई थी।

गौरतलब है कि गुरुवार को भी सेना ने मुठभेड़ में तीन आतंकियों को मार गिराया था। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा है कि सुरक्षा बलों को पुलवामा के अरिपल गांव में आंतकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। उसके आधार पर शनिवार सुबह घेराबंदी और खोज अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की ओर से गोलीबारी किए जाने के बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की।

सीबीआई की चार्जशीट में सामने आई शेल्टर होम की अमानवीयता

ड्रग्स देकर नींद में रेप, अश्लील गानों पर डांस

पटना (आरएनएस)। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस मामले में सीबीआई की चार्जशीट में बच्चियों के साथ हुई वीभत्सता का खुलासा हुआ है। बालिका गृह की बच्चियों को ड्रग्स देकर सोते समय ही रेप किया जाता था। उन्हें कुर्सी से बांधकर दुष्कर्म किया जाता था तथा उन्हें अश्लील भोजपुरी गानों पर डांस करने को मजबूर भी किया जाता था।

सीबीआई ने शेल्टर होम केस में पिछले महीने 73 पेजों की चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में जांच एजेंसी ने रेप, दुष्कर्म और मर्डर के गंभीर आरोप लगाए हैं। चार्जशीट में मिली जानकारी के अनुसार बालिका गृह के मालिक तथा मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसके गेस्ट रोजाना बच्चियों के साथ रेप और यौन उत्पीड़न करते थे।

सीबीआई की चार्जशीट मुजफ्फरपुर शेल्टर होम पीड़ित लड़कियों के बयानों के आधार पर तैयार की गई है। बालिका गृह के कर्मचारियों के द्वारा बच्चियों को रोजाना ड्रग्स दिया जाता था और नींद में उनके साथ रेप होता था। बच्चियों को बताया गया कि दवाइयां उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए दी जा रही है। चार्जशीट के अनुसार बच्चियों ने बताया कि दवाइयां दिए जाने के बाद जब वे सुबह उठती थीं, तो पूरा शरीर दर्द करता था, विशेष तौर पर सीने, पेट और यौनांग का हिस्सा। बच्चियों के कपड़े भी उतरे हुए होते थे।

सीबीआई की चार्जशीट में यह भी खुलासा हुआ कि बालिका गृह की हाउस मदर्स बर्तनों को गरम करके बच्चियों की पिटाई करती थीं। शेल्टर होम के मालिक ब्रजेश ठाकुर ने कथित तौर पर एक बच्ची के सिर पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसी तरह चार्जशीट में वी-3 के नाम से दर्ज एक बच्ची ने खुलासा किया कि मुख्य आरोपी ब्रजेश के साथ ही अन्य आरोपी- रवि रोशन, दिलीप और गुड्डू रात के समय बच्चियों के बेडरुम में आते थे और उन्हें भोजपुरी के अश्लील गानों पर डांस करने के लिए मजबूर करते थे।